रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 318] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 27, 1983/भाद्र 5, 1905

No. 318] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 27, 1983/BHADRA 5, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

विकास आयुक्त (औषध) का कार्यालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27, अगस्त, 1983

सा०का०नि० 671(अ) :—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, विकास आयुक्त (औषध) का कार्यालय में कनिष्ठ अन्वेषक के पद की नियुक्ति पद्धति को नियमित करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ :—(1) ये नियम रसायन और उर्वरक मंत्रालय विकास आयुक्त (औषध) का कार्यालय) कनिष्ठ अन्वेषक भर्ती नियम, 1983 कहलायेंगे।

(2) ये सरकारी गजट में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—उक्त पद की संख्या, इसका वर्गीकरण और वेतनमान, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 2 से 4 के अनुसार होंगे।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता आदि :—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, शैक्षणिक योग्यता और उससे संबंधित अन्य मामले उपरोक्त अनुसूची के कालम 5 से 13 के अनुसार होंगे।

4. अर्हताएं :—कोई भी व्यक्ति—

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया हो अथवा विवाह करने के लिए अनुबन्ध किया हो, जिसका/जिसकी, पति/पत्नी जीवित हो, अथवा

(ख) जिसने जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी दूसरे व्यक्ति से विवाह किया हो अथवा विवाह करने के लिये अनुबन्ध किया हो

उक्त पद पर भर्ती के लिये योग्य नहीं होगा।

बशर्ते कि केन्द्रीय सरकार इस बात से सन्तुष्ट होकर किसी व्यक्ति को इस नियम से छूट दे दें कि ऐसे व्यक्ति पर लागू व्यक्तिगत कानून के अन्तर्गत ऐसा विवाह अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिये अन्य कारण भी है।

5. छूट देने का अधिकार :—जहां केन्द्रीय सरकार का यह विचार हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा उचित है, वह ऐसा करने के कारणों को लिखित रूप में रिकार्ड करके एक आदेश द्वारा किसी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों को इन नियमों के किसी भी प्रावधान में छूट दे सकती है।

6. बचाव —केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों को दिये जाने वाले आरक्षण, आयु-सीमा, में छूट और अन्य रियायतों पर इन नियमों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	क्या यह प्रवरण पद है अथवा गैर-प्रवरण पद	सीधी भर्ती के लिये आयु	सीधी भर्ती के लिये अपेक्षित शैक्षणिक और अन्य योग्यतायें
1	2	3	4	5	6	7
कनिष्ठ अन्वेषक	चार	सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी "ग" अराज-पत्रित गैर-लिपिकीय	रु० 425-15-500-द० रो०-15-560-20-700	लागू नहीं होता	28 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिये 35 वर्ष तक की छूट)। टिप्पणी—प्रत्येक मामले में आयु सीमा निर्धारित करने के लिये निर्णायक तिथि भारत (अण्डमान निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप को छोड़कर) में उम्मीदवारों से आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिये निर्धारित अन्तिम तिथि होगी।	अर्थशास्त्र, सांख्यिक गणित, रसा० वि०, जीव-रसा० विज्ञान, भेषज विज्ञान एक विषय के रूप में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री।

क्या सीधी भर्ती के लिये निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यताएं पदोन्नति के मामले पर भी लागू नहीं होंगी	परिवीक्षा अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति क्या सीधी भर्ती से अथवा प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण से और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	यदि भर्ती पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण से की जाये तो किस ग्रेड से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाता है	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसका गठन कैसे किया गया है	भर्ती के लिये किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाये
8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	दो वर्ष	स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण और ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा	स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण के० सचिवालय लिपिक सेवा और गैर-के०स० लि० से० के उ०श्रे० लि० अथवा आठ वर्ष की नियमित सेवा सहित समान पद धारण करने वाले व्यक्ति और के०स०लि० से० तथा गैर-के०स०लि०से० के उच्च श्रेणी लिपिक तथा 5 वर्ष की नियमित सेवा सहित समान पद धारण करने वाले व्यक्ति और सीधी भर्ती के लिये निर्धारित शैक्षणिक योग्यतायें रखने वाले व्यक्ति। (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः तीन वर्ष होगी)	समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति में उपसचिव (नीति) उप वित्त सलाहकार सहायक विकास आयुक्त (औषध) सम्मिलित हैं।	लागू नहीं होता।

[फाइल संख्या -15011(5)/81-डा०सी०(डी०)]

ई० एन० मूर्ति, उप-सचिव

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

Office of the Development Commissioner (Drugs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th August, 1983

G.S.R. 671 (E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Junior Investigator in the Ministry of Chemicals and Fertilizers, Office of the Development Commissioner (Drugs), namely :—

1. (1) Short title and commencement :— These rules may be called the Ministry of Chemicals and Fertilizers (Office of the Development Commissioner (Drugs) Junior Investigator) Recruitment Rules, 1983.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and scale of pay.—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitments, age limit, qualifications etc.—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxations of age limit and other concessions required to be provided for candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Age for direct recruits	Education and other qualifications required for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Junior Investigator	4	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted Non-Ministerial	Rs. 425-15-500-EB-15-560-20-700.	Not Applicable.	28 years relaxable for Govt. servan upto 35 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Govt. Note:—The crucial date for determining the age limit in each case shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (Other than the Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).	Degree of a recognised University with Eonomics/Statistics/ Mathematics/ Chemistry/ Bio-Chemistry/ Pharmacy as one of the subjects.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of rectt. whether by direct recruitment or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/ deputation/ transfer, grades from which promotion/ deputation/transfer to be made	If a DPC exists, what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Two years	By transfer on deputation or transfer, failing which by direct recruitment.	Lower Division Clerks of CSCS and non-CSCS or persons holding equivalent posts with 8 years' regular service in the grade and UDCs of CSCS and non-CSCS as also persons holding equivalent posts with 5 years' regular service in the grade and possessing qualifications prescribed for direct recruits. (Period of deputation ordinarily not exceeding three years).	Group 'C' DPC comprising Deputy Secretary (Policy) Deputy Financial Adviser Assistant Development Commissioner (Drugs)	Not applicabl

[File No. A-15011(5)81-DC(D)]
E. N. MURTHY, Dy. Secy

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983